

दी सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भीलवाड़ा

इसका नाम

हेतु प्रार्थना पत्र

शाखा प्रबन्धक,

दी सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भीलवाड़ा

शाखा

तज्जनन ग्राम

आवेदक
का फोटो

मैं..... आपके बैंक से योजनान्तर्गत साख सुविधा प्राप्त करना चाहता हूँ।

मेरा व्यक्तिगत विवरण निम्नानुसार है -

1. प्रार्थी का नाम श्री
2. पिता/पति का नाम श्री
3. घर का पूरा पता

दूरभाष का नि.

4. कार्यालय का पता

5. धारित पद तथा कब से कार्यरत है

6. आयु (जन्म तिथि)

दिनांक माह वर्ष

7. मासिक आय रु.

(आवेदन के पूर्व से पहले का माह)

8. आवेदित साख सुविधा राशि रु.

9. ऋण अवधि 36 माह

10. ब्याज दर प्रतिशत सालाना

11. जमानत दार 1.

2. विवरण संलग्न है।

मैं घोषित करता हूँ कि उपरोक्तानुसार प्रार्थनापत्र में दिया गया विवरण सही है। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऋण का पुनर्भुगतान मासिक किश्त आधार पर मेरे नाम से बैंक की शाखा में खोला बचत खाता संख्या के माध्यम से बैंक के पक्ष में देय चैक के द्वारा करुणा एवं समय समय पर लागू बैंक नियमों की पालना करुणा तथा योजना के लिए अनिवार्य शर्तों की पूर्ति में सदैव तत्पर रहूँगा।

दिनांक :-

प्रार्थी के हस्ताक्षर

बैंक शाखा..... की टिप्पणी :-

प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ वेतन प्रमाणपत्र विभागीय अण्डरटेकिंग निर्धारित स्टाम्प पर पूर्ण कर उपलब्ध करा दिया गया है। प्रार्थी को नोमिनल सदस्य दिनांक को बना दिया गया है। माह में आहरित वेतन प्रमाण पत्रानुसार प्रार्थी को रु. अक्षरे रु. की नकद राशि का भुगतान किया जाना अंकित किया गया है। अतः प्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार रु. अक्षरे रु. की साख सुविधा माह की अवधि के लिए स्वीकृत/सिफारिश की जाती है।

शाखा प्रबन्धक

ऋण राशि निर्धारण एवं पुनर्भुगतान सारणी :-

क्र. सं.	मासिक नकद प्राप्त योग्य राशि	ब्याज दर प्रतिशत	ऋण सीमा	मासिक किश्त
1	रु. 2700 से 4000 तक		20000	
2	रु. 4001 से 5200 तक		30000	
3	रु. 5201 से 6500 तक		40000	
4	रु. 6501 से रु. 8000 तक		50000	

लाभार्थी श्री/ श्रीमती से बैंक के पक्ष में केवल खाते में देय A/c Payee Only चैक संख्या से तक जिनकी देय तिथी प्रत्येक माह की तारीख है प्राप्त किए।

शाखा प्रबन्धक

शाखा व्यवस्थापक शाखा की सिफारिश के आधार पर श्री पद कार्यालय (जहां कार्यरत हैं) के पक्ष में रु. अक्षरे ऋण स्वीकृत किया जाता है।

प्रबन्ध निदेशक

जमानती का विवरण एवं सहमति पत्र

शाखा प्रबन्धक,
दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. भीलवाड़ा
शाखा.....

जमानतदार
का
फोटो

महोदय,

श्री पुत्र/पति श्री

जिन्होंने आपकी बैंक से ऋण रु..... लेने हेतु आवेदन किया है मैं उक्त वर्णित ऋण के लिए जमानत देने को अपनी सहमति देता हूं तथा जमानती के रूप में उन समस्त पत्रादि एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को तैयार हूं जो कि बैंक द्वारा ऋण स्वीकार करने पर ऋणी सदस्य से निष्पादित कराये जायेंगे।

विवरण निम्न प्रकार है -

1. नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. घर का पता.....
4. पद, कार्यालय का नाम, पता व टेलिफोन नं. -
5. सर्विस या व्यवसाय में कब से है.....
6. मासिक वेतन/व्यवसाय से आय रु कटौती रु. शुद्ध आय रु.
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. आप प्रार्थी को कब से जानते हैं
तथा आपका उनसे क्या सम्बन्ध है
8. क्या आपने बैंक से किसी प्रकार का ऋण ले रखा है यदि 'हाँ' तो राशि व विवरण देवें
9. अन्य दी गई जमानत का विवरण.....
10. हैसियत के प्रमाण स्वरूप सम्पत्ति के दस्तावेजों की संलग्न छायाप्रति के अनुसार विवरण
(अ) चल/अचल सम्पत्ति का विवरण -
(ब) बाजार मूल्य
(स) क्या सम्पत्ति भार मुक्त है ?
ऋण होने की स्थिति में विस्तृत
विवरण अंकित करें।

स्थान :

दिनांक :

(जमानती के हस्ताक्षर)

इकरारनामा

(राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत)

मैं.....पुत्र पुत्री/पति श्री.....

दी सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. भीलवाड़ा की स श्रेणी सदस्य हूं। मैंने श्री.....के
ऋण रूपये...../- (अक्षरे.....) की जमानत
दी है। इस ऋण को यदि ऋणी नहीं चुकाता है तो उस समस्त ऋण अथवा शेष बकाया ऋण ब्याज सहित को
चुकाने के लिए मैं इस बैंक के साथ इकरार करता हूं कि बैंक राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत
मेरे विभागीय प्रधान अधिकारी अथवा वेतन भुगतान अधिकारी जो भी हो को मासिक मांग-पत्र भेजने पर मेरे वेतन
में से किश्त, ब्याज की कटौती कर बैंक में जमा करायी जा सकती है। जिसके लिए मैं मेरे वेतन भुगतान
अधिकारी को अधिकार देता हूं कि बैंक मांग-पत्र के अनुसार रकम मेरे वेतन में से काटकर बैंक में जमा करवा
सकते हैं। इसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति एवं आनाकानी नहीं होगी। मासिक किश्त कटवाने में आनाकानी
करने पर अन्य कोई भी कार्यवाही इस बाबत करें जो मुझे मान्य होगी। ऋण की कटौती मेरे कुल वेतन के 1/3
भाग से अधिक भी कटाने का अधिकार देता हूं।

दिनांक.....

(हस्ताक्षर जमानती)

नाम.....

पद.....

कार्यालय.....

घर का पता.....

.....

.....

गवाह के हस्ताक्षर

1. नाम.....

2. नाम.....

जमानती का विवरण एवं सहमति पत्र

शाखा प्रबन्धक,
दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. भीलवाड़ा
शाखा.....

जमानतदार
का
फोटो

महोदय,

श्री पुत्र/पति श्री
जिन्होंने आपकी बैंक से ऋण रु..... लेने हेतु आवेदन किया है मैं उक्त वर्णित ऋण के लिए
जमानत देने को अपनी सहमति देता हूं तथा जमानती के रूप में उन समस्त पत्रादि एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने
को तैयार हूं जो कि बैंक द्वारा ऋण स्वीकार करने पर ऋणी सदस्य से निष्पादित कराये जायेंगे।
विवरण निम्न प्रकार है -

1. नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. घर का पता.....
4. पद, कार्यालय का नाम, पता व टेलिफोन नं. -
5. सर्विस या व्यवसाय में कब से है.....
6. मासिक वेतन/व्यवसाय से आय रु कठौती रु शुद्ध आय रु
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. आप प्रार्थी को कब से जानते हैं
तथा आपका उनसे क्या सम्बन्ध है
8. क्या आपने बैंक से किसी प्रकार का ऋण ले रखा है यदि 'हाँ' तो राशि व विवरण देवें
.....
9. अन्य दी गई जमानत का विवरण.....
10. हैसियत के प्रमाण स्वरूप सम्पत्ति के दस्तावेजों की संलग्न छायाप्रति के अनुसार विवरण
(अ) चल/अचल सम्पत्ति का विवरण -
(ब) बाजार मूल्य
(स) क्या सम्पत्ति भार मुक्त है ?
ऋण होने की स्थिति में विस्तृत
विवरण अंकित करें।

स्थान :

दिनांक :

(जमानती के हस्ताक्षर)

इकरारनामा

(राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत)

मैं.....पुत्र पुत्री/पति श्री.....

दी सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. भीलवाड़ा की स श्रेणी सदस्य हूं। मैंने श्री.....के
ऋण रूपये...../- (अक्षरे.....) की जमानत
दी है। इस ऋण को यदि ऋणी नहीं चुकाता है तो उस समस्त ऋण अथवा शेष बकाया ऋण ब्याज सहित को
चुकाने के लिए मैं इस बैंक के साथ इकरार करता हूं कि बैंक राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत
मेरे विभागीय प्रधान अधिकारी अथवा वेतन भुगतान अधिकारी जो भी हो को मासिक मांग-पत्र भेजने पर मेरे वेतन
में से किश्त, ब्याज की कटौती कर बैंक में जमा करायी जा सकती है। जिसके लिए मैं मेरे वेतन भुगतान
अधिकारी को अधिकार देता हूं कि बैंक मांग-पत्र के अनुसार रकम मेरे वेतन में से काटकर बैंक में जमा करवा
सकते हैं। इसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति एवं आनाकानी नहीं होगी। मासिक किश्त कटवाने में आनाकानी
करने पर अन्य कोई भी कार्यवाही इस बाबत करें जो मुझे मान्य होगी। ऋण की कटौती मेरे कुल वेतन के 1/3
भाग से अधिक भी कटाने का अधिकार देता हूं।

दिनांक.....

(हस्ताक्षर जमानती)

नाम.....

पद.....

कार्यालय.....

घर का पता.....

.....

.....

गवाह के हस्ताक्षर

1. नाम.....

2. नाम.....

दी सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भीलवाड़ा

बैंक के पक्ष में इकरारनामे का निष्पादन

(राजस्थान सहकारी सोसाईटी अधिनियम 2001 की धारा 41 के अन्तर्गत)

मैं.....पुत्र पुत्री/पति श्री.....

दी सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. भीलवाड़ा की स श्रेणी सदस्य हूँ।

मैंकार्यालय में..... पद

पर स्थाई/अस्थाई नियुक्त हूँ। मैंने दी सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भीलवाड़ा का ऋण के लिए आवेदन किया है। जिसे बैंक ने स्वीकृत किया है। ऋण राशि को चुकाने के लिए बैंक के साथ मैं इकरार करता हूँ कि बैंक राजस्थान सहकारी समितियों अधिनियम 1965 की धारा 41 के अंतर्गत मेरे अधिकारी जो भी हो, को 'मासिक मांग पत्र' भेजकर मेरे वेतन में से किश्त, ब्याज एवं अमानत की रकम प्राप्त करने का बैंक को अधिकार होगा।

मैं मेरे वेतन भुगतान अधिकारी को अधिकार देता हूँ कि वे बैंक के "मांग पत्र" के अनुसार ऋण की किश्त व ब्याज मेरे वेतन में से काटकर बैंक में जमा करवाएँ। इससे मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। मैं वेतन राशि में से मेरे कुल वेतन के 1/3 भाग से अधिक भी काटने का अधिकार देता हूँ। मेरे एक तरफा निवेदन पर कठौती बंद नहीं की जावेगी। कठौती बैंक की लिखित सहमति पर ही बंद की जावेगी।

(हस्ताक्षर ऋण सदस्य)

हस्ताक्षर,
वेतन भुगतान अधिकारी,
मय पद व मोहर

नाम.....
पद.....
कार्यालय.....
घर का पता.....

वेतन प्रमाण एवं अन्डर टेकिंग

प्रबन्धक

दी सेन्ट्रल को—ऑपरेटिव बैंक लि., भीलवाड़ा

शाखा (भीलवाड़ा)

विषय : — श्री/श्रीमती के वेतन प्रमाण पत्र बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती

..... पुत्र/पत्नी श्री पद

ली है। इनकी जन्म तिथि व सेवानिवृत्ति तिथि है।

इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी/संतोषजनक / कमज़ोर है, तथा इन्होंने अन्य किसी वित्तीय संस्था से ऋण नहीं लिया/लिया है। इनका कार्य संतोषप्रद/असंतोषप्रद है। इनके द्वारा माह में आहरित वेतन की विगत निम्न है —

<u>वेतन</u>		<u>कटौतियां</u>	
मूल वेतन	रु.	भविष्य निधि	रु.
महंगाई भत्ता	रु.	जीवन बीमा	रु
अंतरिम राहत	रु.	आयकर	रु
मकान किराया भत्ता	रु.	अन्य	रु
वाहन भत्ता	रु.	1.	
अन्य भत्ते	रु.	2.	
1.	रु.	3.	

भुगतान योग्य राशि रूपये.....

हम दी सैन्ट्रल को—ऑपरेटिव बैंक लि., भीलवाड़ा शाखा भीलवाड़ा द्वारा स्वीकृत ऋण की किश्त व व्याज की राशि श्री के वेतन में से कटौती कर प्रतिमाह बैंक में जमा कराने की जिम्मेदारी लेते हैं व इनका स्थानान्तरण होने पर अंतिम भुगतान पत्र (एल.पी.सी.) में इन्द्राज किया जावेगा। यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति/सेवा से निष्कासित/ सेवा से त्याग पत्र होता है/देता है तो इनको देय परिलाभों से प्रथम बैंक दायित्व का चुकारा किया जावेगा।

हस्ताक्षर वेतन भुगतान अधिकारी/
प्रधान अधिकारी

दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भीलवाड़ा

वचन-पत्र

रुपये.....

दिनांक.....

मैं/हम पुत्र.....

दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., भीलवाड़ा को/अथवा उसकी आज्ञानुसार मांग करते ही रुपये
.....जो हमने प्राप्त किए हैं..... प्रतिशत मासिक/ त्रैमासिक/
अर्द्धवार्षिक/वार्षिक दर से चुकाने का वचन देता हूं/देते हैं।

1/-
रसीदी टिकिट

(हस्ताक्षर ऋणी)

श्रीमान् शाखा प्रबन्धक महोदय,
दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. भीलवाड़ा
शाखा.....

स्टाम्प 10/-

अविरल-पत्र :::

मान्यवर,

दिनांक.....

मैं/हम..... एक वचन

पत्र रु. अक्षरे.....

मात्र का संलग्न करते हैं जिस पर मैंने/हमने हस्ताक्षर किये हैं जो किसी ऋण राशि चूकाने हेतु प्रत्याभूति स्वरूप से आपके यहां जो मेरे/हमारे नाम है या बाद में नाम हो के भुगतान के लिये देते हैं। यह राशि अभी हमारे नाम पड़ी है के लिए जिम्मेदार है। उपरोक्त वचन पत्र अदेय ऋण की बाकी रकम के पुर्णभुगतान के लिए प्रत्याभूति स्वरूप समझा जावे और उपरोक्त वचन पत्र के प्रति उस समय तक उत्तरदायी है जब तक की उसका चूकता भुगतान नहीं हो जाता है चाहे ऋण की रकम समय-समय पर कम होती रहे अथवा समस्त समाप्त हो जावे अथवा बढ़ जाए।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

भीलवाड़ा

ऋण आवेदक

ऋण अनुबन्ध-पत्र

दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. भीलवाड़ा के पक्ष में श्री.....
..... की ओर से।

बैंक ने मुझे/फर्म को रूपये/ अक्षरे.....

..... रूपये मात्र योजनाके अन्तर्गत ऋण उधार देना स्वीकार किया है। इस सम्बन्ध में नीचे लिखी शर्तों का पालन करना स्वीकार किया है तथा उसके अनुसार हम/मैं बैंक के प्रति उत्तरदायी रहेंगे/रहूँगा।

1. मैं/हमने बैंक से लिये गये ऋण के अनुसार बैंक के पक्ष में वचन पत्र दूंगा/देंगे/दूर्गीं।
2. उपरोक्त ऋण के लिए बैंक एक खाता रखेगा। वचन पत्र में ब्याज अदा करने के लिए किसी प्रकार की कोई शर्त हो तो भी हम प्रतिवर्ष के लिए कर्ज का ब्याज सितम्बर 30, दिसम्बर 31 मार्च 31 एवं जून 30 को नकद अदा करेंगे और ब्याज अदा न करने पर उस तारीख तक की ब्याज की रकम ऋण खाते में नामे लिख देने का बैंक को अधिकार होगा।
3. वचन पत्र में ब्याज की दर के लिए कुछ भी नहीं लिखा होने पर भी बैंक को दिये हुए ऋणों पर नीचे लिखी शर्तों के अनुसार ब्याज लगाने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।
 - (अ) बैंक द्वारा निश्चित अवधि में या मांग पर जो भी पहले हो.....प्रति सैकड़ा से रकम पर मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक ब्याज लगाया और जोड़ा जायेगा।
 - (ब) यदि दिये हुए कर्जे की मियाद तथा बैंक द्वारा बढ़ाई गई मियाद के बाद भी रकम बाकी रहे तो दण्डनीय ब्याज 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगाया और जोड़ा जावेगा।
4. वचन पत्र में लिखी हुई रकम यदि निश्चित अवधि के पहले चुकाई जावेगी तो बैंक को स्वीकार करनी होगी। और कटती मिति से ब्याज लगाया जायेगा।
5. वचन पत्र की रकम यदि समय पर न चुकाई जावेगी अथवा इस ऋण पत्रकी किसी शर्त को भंग किया जावेगा अथवा बैंक की संचालन समिति की सम्मति में फर्म के मालिक या किसी साझेदारे के चले जाने के बाद अथवा किसी दूसरे कारणों से यदि बैंक के कर्ज की वसूली होने में कोई खतरा पैदा होने की संभावना हो तो बैंक को ऋण खाते की समस्त रकम को एक मुश्त मांगने तथा वसूल करने का हक होगा।
6. जब तक मेरे/फर्म द्वारा बैंक से लिया गया ऋण मय ब्याज तथा अन्य खर्चों के बैंक को अदा नहीं कर नाबाकियात प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त कर लिया जाता है तब तक मेरी/फर्म की कुल वर्तमान तथा भविष्य में अर्जित चल एवं अचल सम्पत्ति जिसमें मेरे/फर्म के द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गई कोलेटरेल सिक्योरेटी में शामिल होगी जिस पर बैंक को पूरा प्रथम अधिकार होगा तथा मुझसे/हमारे को उपरोक्त सम्पत्ति को बिना ऋणमय ब्याज अदायगी या बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना बेचने अथवा रहन करने अथवा किसी रूप

में बन्धक करने का अधिकार नहीं होगा।

7. यदि मेरे/फर्म द्वारा उपरोक्त शर्तों के पालन में कोई कसर रहे या बैंक अपने ऋण की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे तो बैंक को अधिकार होगा कि मेरी/फर्म की समस्त स्टाक चल व अचल सम्पत्ति को अपने कब्जे में कर लेवे और उस पर अपना ताला लगावें। साथ ही बैंक उपरोक्त स्टाक व कोलटरेल सिक्यूरिटी में रखी गयी सम्पत्ति को बेच कर बकाया ऋण राशि एवं उस तारीख तक ब्याज मय खर्चे के बसूल कर लेवे। इस कार्यवाही में मुझे/फर्म को कोई उज्ज्ञ नहीं होगा।
8. ऋण स्वीकृति के पश्चात मेरे/फर्म द्वारा अन्य किसी अन्य बैंक में खाता नहीं रखा जायेगा एवं व्यवसाय से सम्बन्धित समस्त लेन-देन इस बैंक के खाते के माध्यम से ही किया जायेगा एवं नकद बिक्री राशि भी बैंक में जमा कराई जायेगी। मेरे/हमारे/फर्म द्वारा बैंक को मासिक/पाक्षीक स्टाक सूचि प्रस्तुत की जावेगी एवं उक्त माल को दृष्टिबंधक रखा जावेगा।
9. आज दिनांक को इस आलेख पर हमने पूरे होश हवास व अकल से पढ़ व समझ कर हस्ताक्षर किये हैं।

वास्ते -

(आवेदक) के हस्ताक्षर

गवाह के हस्ताक्षर

1. नाम.....

पता.....

नाम

पता


2. नाम.....

पता.....

हस्ताक्षर शाखा प्रबन्धक

(मय सील)

जमानत अनुबंध-पत्र



दिनांक.....

प्रेषिती :-**दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.**
भीलवाड़ा**प्रिय श्रीमान्**

जैसा कि आपकी बैंक द्वारा ऋण योजना के अन्तर्गत श्री
 पुत्र श्री (जिसे आगे ऋणी कहा जायेगा) निवासी
 को रु (अक्षरे रु)

का ऋण देना स्वीकार किया है। उक्त ऋणी को जारी किये गये समस्त ऋण मय ब्याज/अन्य देयता एवं वचन पत्र के लिए मैं/हम एतद्वारा एकल/संयुक्त रूप से अपनी व्यक्तिगत जमानत देता हूँ।

यह है कि मेरी व्यक्तिगत हैसियत कुल चल-अचल सम्पत्ति से रु (अक्षरे रु) की है। उक्त चल एवं अचल सम्पत्ति को यह जमानत पत्र निष्पादित करने के उपरान्त अन्य कोई भार अथवा बेचान मेरे द्वारा नहीं किया जायेगा।

यह है कि मैं आपकी बैंक का नोमिनल सदस्य हूँ एवं सहकारी अधिनियम के समस्त प्रावधान मुझ पर प्रभावी होंगे।

यह है कि मैं गर्भित स्वीकृति प्रस्तुत करता हूँ कि बैंक का पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त ऋणी के विरुद्ध बकाया ऋण तातारीख ब्याज एवं अन्य देयताओं के लिए मेरी पूर्व स्वीकृति के बिना ऋणी की ओर बकाया ऋण, ब्याज एवं अन्य देयताओं की बाकीयात के विरुद्ध मेरी चल, अचल सम्पत्ति को अधिग्रहण कर जरीए बिक्री समस्त बकाया राशि को एक मुश्त वसूल कर सकेगा। यदि ऋणी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज एवं अन्य देयता का चुकारा आपकी बैंक को नहीं किया जाता है तो जरीए यह अनुबंध पत्र मैं उक्त ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं के चुकाने के लिए प्रतिबद्ध होऊंगा एवं बैंक द्वारा उक्त ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं की वसूली हेतु मेरी चल-अचल सम्पत्ति जरीए विक्रय बकाया राशि वसूल की जायेगी। जिसके लिए मुझे किसी प्रकार का उज्ज्वल एवं एतराज नहीं होगा।

ऋणी की और से किसी भी दिनांक को बकाया ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं का बैंक को चुकारा नहीं किया जायेगा तो मैं उक्त बकाया समस्त राशि मय हर्जा खर्चा जमा कराने के लिए प्रतिबद्ध हूँ होंगे।

यह है कि उक्त ऋणी द्वारा व्यवसाय का समापन कर दिया जावे या अथवा दिवालीया हो जाने पर भी एतद् जमानत पत्र में उक्त ऋणी की ओर बकाया समस्त ऋण ब्याज एवं अन्य देयताओं के चूकारे के लिए प्रतिबद्ध होऊंगा एवं बैंक को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बैंक मेरी चल-अचल सम्पत्ति को विक्रय कर उक्त बकाया समस्त राशियां वसूल कर सकें। जिसके लिए मुझे कोई उज्ज्वल एवं एतराज नहीं होगा।

यह है कि यह जमानत अनुबंध पत्र जब तक ऋणी द्वारा अथवा मेरे द्वारा बकाया समस्त ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं के सहित आपकी बैंक को अदा कर नाबाकियात प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लेता तब तक के लिए मुझ पर प्रभाव शील होगा एवं मुझ पर बन्धन कारी रहेगा।

यह है कि यह जमानत अनुबंध पत्र आज दिनांक को निम्नाकिंत साक्षियों के समक्ष हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया गया है। जो वक्त जरूरत काम आवें।

साक्षी के हस्ताक्षर

1. नाम
पता


साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पता

जमानतदार के हस्ताक्षर

1. नाम
पता

जमानत अनुबन्ध-पत्र



दिनांक.....

प्रेषिती :-

दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

भीलवाड़ा

प्रिय श्रीमान्

जैसा कि आपकी बैंक द्वारा ऋण योजना के अन्तर्गत श्री
पुत्र श्री (जिसे आगे ऋणी कहा जायेगा) निवासी.....

को रु..... (अक्षरे रु.....)

का ऋण देना स्वीकार किया है। उक्त ऋणी को जारी किये गये समस्त ऋण मय ब्याज/अन्य देयता एवं वचन पत्र के लिए मैं/हम एतद्वारा एकल/संयुक्त रूप से अपनी व्यक्तिगत जमानत देता हूँ।

यह है कि मेरी व्यक्तिगत हैसियत कुल चल-अचल सम्पत्ति से रु..... (अक्षरे रु.....)
की है। उक्त चल एवं अचल सम्पत्ति को यह जमानत पत्र निष्पादित करने के उपरान्त अन्य कोई भार अथवा बेचान मेरे द्वारा नहीं किया जायेगा।

यह है कि मैं आपकी बैंक का नोमिनल सदस्य हूँ एवं सहकारी अधिनियम के समस्त प्रावधान मुझ पर प्रभावी होंगे।

यह है कि मैं गर्भित स्वीकृति प्रस्तुत करता हूँ कि बैंक का पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त ऋणी के विरुद्ध बकाया ऋण तातारीख ब्याज एवं अन्य देयताओं के लिए मेरी पूर्व स्वीकृति के बिना ऋणी की ओर बकाया ऋण, ब्याज एवं अन्य देयताओं की बाकीयात के विरुद्ध मेरी चल, अचल सम्पत्ति को अधिग्रहण कर जरीए बिक्री समस्त बकाया राशि को एक मुश्त वसूल कर सकेगा। यदि ऋणी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज एवं अन्य देयता का चुकारा आपकी बैंक को नहीं किया जाता है तो जरीए यह अनुबंध पत्र मैं उक्त ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं के चुकाने के लिए प्रतिबद्ध होऊंगा एवं बैंक द्वारा उक्त ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं की वसूली हेतु मेरी चल-अचल सम्पत्ति जरीए विक्रय बकाया राशि वसूल की जायेगी। जिसके लिए मुझे किसी प्रकार का उच्च एवं एतराज नहीं होगा।

ऋणी की और से किसी भी दिनांक को बकाया ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं का बैंक को चुकारा नहीं किया जायेगा तो मैं उक्त बकाया समस्त राशि मय ब्याज एवं अन्य देयताओं को चुकारा आपने के लिए प्रतिबद्ध हूँ/ होंगे।

यह है कि उक्त ऋणी द्वारा व्यवसाय का समापन कर दिया जावे या अथवा दिवालीया हो जाने पर भी एतद् जमानत पत्र मैं उक्त ऋणी की ओर बकाया समस्त ऋण ब्याज एवं अन्य देयताओं के चूकारे के लिए प्रतिबद्ध होऊंगा एवं बैंक को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बैंक मेरी चल-अचल सम्पत्ति को विक्रय कर उक्त बकाया समस्त राशियां वसूल कर सकें। जिसके लिए मुझे कोई उच्च एवं एतराज नहीं होगा।

यह है कि यह जमानत अनुबंध पत्र जब तक ऋणी द्वारा अथवा मेरे द्वारा बकाया समस्त ऋण मय ब्याज एवं अन्य देयताओं के सहित आपकी बैंक को अदा कर नाबाकियात प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लेता तब तक के लिए मुझ पर प्रभाव शील होगा एवं मुझ पर बन्धन कारी रहेगा।

यह है कि यह जमानत अनुबद्ध पत्र आज दिनांक को निम्नानुसार साक्षियों के समक्ष हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर दिया गया है। जो उक्त जरूरत काम आवें।

साक्षी के हस्ताक्षर

1. नाम.....

पता.....

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम.....

पता.....

जमानतदार के हस्ताक्षर

1. नाम.....

पता.....